



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08082020-220972
CG-DL-E-08082020-220972

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2300]
No. 2300]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 5, 2020/श्रावण 14, 1942
NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 5, 2020/SRAVANA 14, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 अगस्त, 2020

का.आ. 2598(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि गुजरात राज्य के बनासकांठा जिले में NH 754K के कि.मी. 0 से कि.मी.130 (प्रान्त कार्यालय, थराद) तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् उपखंड अधिकारी, थराद को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि

कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य व्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितवद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

गुजरात राज्य के बनासकांठा जिले में NH 754K के कि.मी. 0 से कि.मी.130 (प्रान्त कार्यालय, थराद) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

राज्य का नाम: गुजरात		जिले का नाम: बनासकांठा			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
तालुक का नाम: थराद					
गांव का नाम: बुढनपुर					
1	149	निजी	गैर-कृषि	0.1133000 (हेक्टेयर)	0.1133000
2	194	निजी	कृषि	0.2159000 (हेक्टेयर)	0.2159000
3	200	निजी	गैर-कृषि	0.0283000 (हेक्टेयर)	0.0283000
4	201	निजी	गैर-कृषि	0.5094000 (हेक्टेयर)	0.5094000
5	456	निजी	गैर-कृषि	0.1630000 (हेक्टेयर)	0.1630000
6	456(100P1/P2)	सरकारी	गैर-कृषि	0.2755000 (हेक्टेयर)	0.2755000
गांव का नाम: जनाड़ी					
1	127 Paiki	निजी	कृषि	0.1125000 (हेक्टेयर)	0.1125000
गांव का नाम: मियाल					
1	374	निजी	गैर-कृषि	0.7393000 (हेक्टेयर)	0.7393000
गांव का नाम: नांगला					
1	60	निजी	कृषि	0.7000000 (हेक्टेयर)	0.7000000
गांव का नाम: पीलूडा					
1	205	निजी	कृषि	0.9000000 (हेक्टेयर)	0.9000000
2	234	निजी	कृषि	0.0300000 (हेक्टेयर)	0.0300000
3	244	निजी	कृषि	0.1805000 (हेक्टेयर)	0.1805000

4	26	निजी	कृषि	0.1187000 (हेक्टेयर)	0.1187000
गांव का नाम: थराड					
1	197-189 P2/P1	निजी	गैर-कृषि	0.1685000 (हेक्टेयर)	0.1685000
2	210	निजी	गैर-कृषि	0.0126000 (हेक्टेयर)	0.0126000
3	245(183 P2)	निजी	गैर-कृषि	0.0168000 (हेक्टेयर)	0.0168000
4	35	निजी	गैर-कृषि	0.0354000 (हेक्टेयर)	0.0354000
5	370 296 Paiki 1 Paiki 2	निजी	गैर-कृषि	0.4259000 (हेक्टेयर)	0.4259000
तालुक का नाम: वाव					
गांव का नाम: देथली					
1	643	निजी	कृषि	0.6000000 (हेक्टेयर)	0.6000000
गांव का नाम: मालसन					
1	163	निजी	कृषि	1.0000000 (हेक्टेयर)	1.0000000
कुल				6.3456	6.3456

[फा. सं. NHAI/PIU-GAN/BM/AJEC-GUJ/2018/LA/3A]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 4th August, 2020

S. O. 2598 (E).— In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.), maintenance, management and operation of NH 754K in the stretch of land from Km 0 to Km130 (Prant Office, Tharad) in the district of Banaskantha in the state of GUJARAT, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Sub-Divisional Magistrate, Tharad in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling NH 754K in the stretch of land from NH 754K (Prant Office, Tharad) in the district of Banaskantha in the state of GUJARAT

State: GUJARAT		District: Banaskantha			
S. No.	Survey / Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectare)
Taluk: Tharad					
Village: Budhanpur					
1	149	Private	Non Agriculture	0.1133000 (Hectare)	0.1133000
2	194	Private	Agriculture	0.2159000 (Hectare)	0.2159000
3	200	Private	Non Agriculture	0.0283000 (Hectare)	0.0283000
4	201	Private	Non Agriculture	0.5094000 (Hectare)	0.5094000
5	456	Private	Non Agriculture	0.1630000 (Hectare)	0.1630000
6	456(100P1/P2)	Government	Non Agriculture	0.2755000 (Hectare)	0.2755000
Village: Janadi					
1	127 Paiki	Private	Agriculture	0.1125000 (Hectare)	0.1125000
Village: Miyal					
1	374	Private	Non Agriculture	0.7393000 (Hectare)	0.7393000
Village: Nagala					
1	60	Private	Agriculture	0.7000000 (Hectare)	0.7000000
Village: Piluda					
1	205	Private	Agriculture	0.9000000 (Hectare)	0.9000000
2	234	Private	Agriculture	0.0300000 (Hectare)	0.0300000
3	244	Private	Agriculture	0.1805000 (Hectare)	0.1805000
4	26	Private	Agriculture	0.1187000 (Hectare)	0.1187000
Village: Tharad					
1	197-189 P2/P1	Private	Non Agriculture	0.1685000 (Hectare)	0.1685000
2	210	Private	Non Agriculture	0.0126000 (Hectare)	0.0126000
3	245(183 P2)	Private	Non Agriculture	0.0168000 (Hectare)	0.0168000

4	35	Private	Non Agriculture	0.0354000 (Hectare)	0.0354000
5	370 296 Paiki 1 Paiki 2	Private	Non Agriculture	0.4259000 (Hectare)	0.4259000
Taluk: Vav					
Village: Dethali					
1	643	Private	Agriculture	0.6000000 (Hectare)	0.6000000
Village: Malsan					
1	163	Private	Agriculture	1.0000000 (Hectare)	1.0000000
Total				6.3456	6.3456

[F. No. NHAI/PIU-GAN/BM/AJEC-GUJ/2018/LA/3A]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.